

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-122/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेकारी, गया के दिनांक-16 12 2022 से 11 12 2025 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-12 12 2025 से 09 03.2026 तक प्रभार रहित को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है -

(i)	दिनांक-16 12 2022 से 11 12 2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय पत्रांक 2045(2), दिनांक -30 11 2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-12 12 2025 से 20 01 2026 तक	--	असाधारण अवकाश के रूप में
(iii)	दिनांक-21 01.2026 से 09 03 2026 तक	--	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।

2 प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाटक)
सरकार के उप सचिव

2258(2)

ज्ञापक-2/आर०-122/2026-

पटना, दिनांक 18/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेकारी, गया / कोषागार पदाधिकारी, गया / डा० अशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेकारी, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wfomk 17/9/26
सरकार के उप सचिव।

B